

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावाँ।

राँची, दिनांक- / /2024 ई०।

विषय :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के आलोक में आर्थिक सहायता राशि के भुगतान हेतु कुल रू० 7,00,000/- (सात लाख रुपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के आलोक में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेशों के विरुद्ध आर्थिक सहायता राशि के भुगतान हेतु निम्नानुसार रू० 7,00,000/- (सात लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है :-

क्र०	जिला	स्वीकृत्यादेश सं०	विषय	आवंटन
1	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	483/31.01.2024	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वाद सं०-738/34/6/2019-AD(M-II) में निहित अनुशंसा के आलोक में मृतक बंदी मनोज सिंह उर्फ मनोज कुमार के आश्रित पिता अनिरुद्ध सिंह, मनिफिट, रामाधीन बागान, इन्द्रानगर, जमशेदपुर को कुल रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र आर्थिक सहायता राशि के भुगतान हेतु आवंटन।	5,00,000/-
2	सरायकेला- खरसावाँ	484/31.01.2024	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वाद सं०-737/34/20/2019-JCD में निहित अनुशंसा के आलोक में मृतक बंदी मो० तबरेज अन्सारी की आश्रित पत्नी सहिस्ता परवीन, ग्राम-खरसावाँ, बेहरासाई, पोस्ट+थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को कुल रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र आर्थिक सहायता राशि के भुगतान हेतु आवंटन।	2,00,000/-
कुल:-				7,00,000/-

(सात लाख रुपये)

मात्र

2. उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्थापना व्यय बजट शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-05-दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-22S22356020005000649 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4. उक्त राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, झारखण्ड से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली (बचत की) राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करेंगे।
7. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
8. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आश्रित को भुगतान की गयी राशि से संबंधित महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को विहित प्रपत्र में प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि गृह विभाग को अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरवा राजकमल)


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 04/अनु०अनु० (1)/मानवाधिकार/801/2020/ राँची, दिनांक- / /2024 ई०।
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 04/अनु०अनु० (1)/मानवाधिकार/801/2020/ राँची, दिनांक- 15/03/2024 ई०।
प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/मॉडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/AA(1)M-801/20/183

दिनांक - 15-Mar-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 22356020005000649 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 - अन्य कार्यक्रम 05 - दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	94359	JSRDAD041 DHANANJAYA NAZARAT DY.COLLECTOR JSR. 49 - आर्थिक सहायता	500,000.00 रुपये पाँच लाख
2	S 22 22356020005000649 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 - अन्य कार्यक्रम 05 - दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	94361	SKLDAD013 ANIL TUDU DY. COLLECTOR NAZARAT SKL 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख

योग:

रुपये सात लाख

700,000.00

क्रमिक योग:

(ARAVA RAJKAMAL)
SECRETARY